न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 13/2020 प्रार्थना पत्र

रामलाल पिता हरलाल चारण, आयु वयस्क, निवासी मण्डलाचारण, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.

निर्णय दिनांक 04.03.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा मण्डलाचारण की खाता संख्या 52 की आराजी नं. 744 व 952/736 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0900 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 51 की आराजी नं. 711, 712, 713, 718, 736 कुल किता 5 कुल रकबा 2.0500 हैक्टेयर तथा मौजा रणछोडपुरा की खाता संख्या 25 की आराजी नं. 192, 193 व 340 कुल किता 3 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों की गलती से रामा पिता हरलाल चारण दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामलाल पिता हरलाल चारण है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में रामलाल पिता हरलाल चारण दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर नाम संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया। तारीख पेशी पर प्रार्थी के भाई किशनदान पिता हरलाल चारण तथा गणेश दान पिता हरलाल चारण निवासी मण्डलाचारण ने भी उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा प्रश्नगत आराजीयात में प्रार्थी के भाईयों के नाम भी संशोधित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड आदि की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड व विद्यालय की अंकतालिकाओं की छायाप्रतियों में प्रार्थीगण के शुद्ध नाम अंकित है परन्तु राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध नाम अंकित है जिन्हें शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात वाके मौजा मण्डलाचारण की खाता संख्या 52 की आराजी नं. 744 व 952/736 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0900 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 51 की आराजी नं. 711, 712, 713, 718, 736 कुल किता 5 कुल रकबा 2.0500 हैक्टेयर तथा मौजा रणछोडपुरा की खाता संख्या 25 की आराजी नं. 192, 193 व 340 कुल किता 3 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम किशन, रामा, गणेश पिता हरलाल चारण, सा. देह के स्थान पर किशन दान, रामलाल, गणेश दान पिता हरलाल चारण, सा. देह अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:54:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: